न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

नजरसानी याचिका संख्या : 01/2021

प्रार्थीः—

1 श्रीमति प्रेमलता पत्नी विकासचन्द
2 नरेन्द्र कुमार पुत्र अमरचन्द
3 श्रीमति इन्दिराबाई पुत्री अमरचन्द
4 श्रीमति सरस्वती पुत्री अमरचन्द
5 श्रीमति संतोष पुत्री अमरचन्द
6 श्रीमति सविता पुत्री अमरचन्द
7 श्रीमति मैनाबाई पुत्री अमरचन्द
8 श्रीमति संगीता पुत्री अमरचन्द जातिगण जैन निवासीगण राणावास स्टेशन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1 श्रीमति सुकीयादेवी पुत्री किशनाराम धर्मपत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी राणावास हाल निवासी बिजलियावास तहसील सोजत
2 हजारीराम पुत्र लच्छाराम जाति मेघवाल निवासी राणावास
3 श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री लच्छाराम पत्नी पोकरराम जाति मेघवाल निवासी राणावास हाल मेघवालों का बास बालेलाव तहसील पाली
4 श्रीमति अणचाई पुत्री लच्छाराम जाति मेघवाल निवासी राणावास हाल निवासी मेघवालों का बास, देवली कलां तहसील रायपुर
5 प्रेमनाथ पुत्र मंसा
6 जसनाथ पुत्र मंसा
7 सुरेन्द्रनाथ पुत्र भीकनाथ
8 नरेन्द्रनाथ पुत्र भीकनाथ
9 इन्द्रनाथ पुत्र भीकनाथ
10 जेठी पत्नी भीकनाथ
11 सुरेन्द्रनाथ पुत्र पोकरनाथ जातिगण योगी निवासी राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन
12. कमला पुत्री श्री पोकरनाथ धर्मपत्नी श्री किस्तूरनाथ जाति योगी निवासी राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन

नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्री गोपी किशन शर्मा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 4

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: आदेश :–

दिनांक 02-03-2021

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 08/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विधिक बिन्दु निहित होने के कारण विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को प्राथमिक स्तर पर सुना गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में नजरसानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम राणावास के साबिक खसरा नम्बर 429 व 430 जिसके हाल खसरा नम्बर 602, 603, 604 व 605 बने। उक्त भूमि पूर्व में मंसा व किशना पि0 हुक्मा योगी की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में किशना व लच्छा पि0 दुर्गा भाम्बी का गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वर्ष 1968 में किशना व लच्छा द्वारा उक्त तथ्य को दुरूस्त कराते हुए हकतर्कनामा निष्पादित कराते हुए राजस्व रेकर्ड में मंसा व किशना पि0 हुक्मा योगी का नाम दर्ज करवाया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 14.06.1968 को स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात किशना व लच्छा भांबी द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सिलसिलेवार कार्यवाही की गई। उक्त दावे में वादीगण द्वारा विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 04.02.1971 को दावा जरिये विड्रो खारिज़ किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1976 को तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 10.12.1976 को प्रार्थना पत्र खारिज़ किया तथा भूमि का अन्तरण विधिक रूप से होना कथन किया। इन समस्त तथ्यों की जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को भलीभांती थी, इसके बावजूद भी उन्होने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 8/2020 दायर करवाते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त निर्णय को कभी भी चुनौती नहीं दी थी एवं उक्त निर्णय पुख्ता हो चुका था। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध गलत तथ्यों का सहारा लेते हुए जैर नजरसानी निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 8/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 को पुनर्विलोकित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस में यह जाहिर किया कि प्रार्थीगण द्वारा जिन तथ्यों के सहारे नजरसानी याचिका प्रस्तुत की है, उन्ही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद भी प्रस्तुत किया है। अब प्रार्थीगण एक ही कार्यवाही को लेकर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयत्न कर रहे है, जो विधिक नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा है, वहीं दूसरी ओर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष नजरसानी याचिका प्रस्तुत की है। यदि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आते, तो उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में पक्षकार बनना था अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दोनो ही वाद की कार्यवाही को समेकित किया जाकर कार्यवाही करवानी थी, जो उनके द्वारा नहीं करवाई जाकर प्रकरण को विलम्बित करते हुए न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित कराने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी याचिका को खारिज़ करावें एवं प्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे कि वे अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समक्ष विचाराधीन वाद की कार्यवाही में पक्षकार बन अपने हितों की रक्षा हेतु चाराजोही करें।उक्त वाद सं. 13/1970 बअनवान किशना वगैरा बनाम मंशा वगैरा का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि दिनांक 20/08/1970 को वाद विड्रोल का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता हैं। जबकि वाद सुनवाई की आगामी पेशी पहले से ही 26/08/1970 अंकित की हुई थी। दिनांक 26/08/1970 की आदेशिका में "वादीगण ने अपना मुकदमा वापिस ले लिया है" अंकित किया हुआ है। इसके बाद आगामी सुनवाई की तारीख 16/09/1970 नियत की हुई है। उसके बाद आगामी सुनवाई की तारीखें 14.10.70,10.12.70,14.01.71 एवं 04.02.71 नियत की हुई है। दिनांक 04.02.1971 को वाद विड्रोल करने का हवाला देते हुए वाद खारिज किया जाता है। जबकि उक्त आदेशिका पर वादीगण के कोई हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नही है। जिससे वाद को विड्रोल करने की कार्यवाही संन्देहास्पद प्रतित होती है। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी सोजत में तहसीलदार खारची द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं.8/1976 बअनवान तहसीलदार खारची बनाम किशना, मंशा वगैरा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा 175 के तहत दर्ज किया गया था। जिसमें किशना पुत्र दुर्गा भाम्बी, लच्छा पुत्र दुर्गा भांबी ने अपना जबाव प्रस्तुत किया तथा कथन किये कि "उक्त भूमि हमनें कोई ट्रांसफर नही किया है। अतः मुझे बेदखल नही किया जावें।" जब दिनांक 10.05.1976 को अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कथन अपने जबाव मे अंकित किये गये है, जिससे भी उक्त कृषि भूमि का हुआ अन्तरण विधिवत् नही है।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथमतः प्रकरण में यह विधिक बिन्दु उद्भोत होता है कि चूंकि प्रार्थी जिस निर्णय को नजरसानी के माध्यम से पुनर्विलोकित करवाना चाहता है, उस अपीलीय कार्यवाही में प्रार्थी पक्षकार ही नहीं थे, तो क्या प्रार्थी को नजरसानी याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है ? तथा क्या प्रार्थीगण को उक्त नजरसानी याचिका के माध्यम से अपीलीय कार्यवाही में पक्षकार मानते हुए कार्यवाही करवाने की Locus Standi हैं ? उक्त बिन्दु कानूनी है, जिन पर प्रकरण का निर्णय प्रभावित होना है। इन तथ्यों को समझने के लिये हमें प्रकरण में आक्षेपित निर्णय को देखना होगा, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.01.2021 को, जो निर्णय पारित किया है, उसमें प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई एवं विधिक दृष्टिकोण से प्रकरण का परीक्षण कर 6 माह के भीतर निर्णय पारित करने के निर्देश दिए हैं। प्रथमतः तो प्रार्थीगण उक्त अपील में पक्षकार संयोजित नहीं थे। इस कारण उन्हे आक्षेपित आदेश से यदि किसी प्रकार का शिकवा था, तो उनके लिये अपीलीय कार्यवाही उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त विधिक रूप से वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी पक्षकार संयोजित होकर अपने हितों की रक्षा हेतु स्वतन्त्र थे, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वस्तुतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद खातेदारी घोषणा हेतु दायर किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण इस नजरसानी याचिका में मौन हैं। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 103 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– आदेश 1 नियम 10– पक्षकार का संयोजन– रेस्पोडेन्ट संख्या 22 ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में उसे पक्षकार बनाने हेतु आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया–आवेदन स्वीकार किया–निगरानी–वाद में विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश नही किया–प्रार्थी पृथक वाद पेश करने को स्वतन्त्र है – निर्णित, अपीलीय स्तर पर प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया जा सकता है।" इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 397 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 1 नियम 10 – पश्चातवर्ती हस्तान्तरिती को पक्षकार बनाने हेतु याचिका – वाद विचाराधीन होने का सिद्धान्त लागू होगा– पश्चातवर्ती हस्तान्तरिती की उपस्थिति आवश्यक नहीं है– निर्णीत, आदेश में क्षेत्राधिकारिता की त्रुटी नहीं है।" उपरोक्त न्याय निर्णयों की रोशनी में यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्ति के विकल्प उपलब्ध है, वे उन विधिक विकल्पों की उपलब्धता के बावजूद भी नजरसानी के माध्यम से निर्णय की प्रकृति एवं मूल भावना में परिवर्तन का अनुतोष चाहते है, जो प्राथमिक स्तर पर न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा नजरसानी याचिका में जिन विभिन्न बिन्दुओं में उक्त निर्णय को आक्षेपित करते हुए पुनर्विलोकन कराने का अनुतोष चाहा है, उन बिन्दुओं पर न्यायालय हाजा एवं अन्य अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी सिलसिलेवार विवेचन करते हुए विधि की व्याख्या की है, जिनकी पुनः विवेचना की आवश्यकता नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों की जिस स्वीकारोक्ति को प्रार्थीगण नजरसानी का आधार बनाते है, वहीं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष राजस्व विविध प्रकरण संख्या 8/1976 में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह जाहिर किया कि उनके द्वारा किसी भी रूप से भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया गया हैं। उनसे भूमि का कब्जा छुडवाने की आशंका को देखते हुए कार्यवाही कराने एवं भूमि का कब्जा पुनः सुपुर्द कराने के तथ्य अंकित किये है। इस प्रकार दोनों ही तथ्य परस्पर विरोधाभाषी है, इस कारण एकमेव रूप से रेकर्ड से ही इस तथ्य की पुष्टि की जानी आवश्यक है कि विधिक रूप से भूमि धारित करने का अधिकारी कौन है ? इस तथ्य की पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रक्रियानुसार कार्यवाही से ही संभव हैं। चूंकि प्रकरण में विवादित आराजी के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी होनें एवं गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित होने का भी प्रश्न निहित है, जिसका विधिक परीक्षण भी आवश्यक हैं। उक्त परीक्षण भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद की कार्यावही में ही हो सकता है, इस कारण भी प्रार्थीगण को यदि जैर नजरसानी निर्णय से यदि कोई शिकवा था, तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त भी जब प्रार्थीगण द्वारा इसी भूमि को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाकर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, उक्त वाद को प्रार्थीगण (वादीगण) ने वाद को अधीनस्थ न्यायालय मे जरिये विड्रोल खारिज करवा दिया गया है। जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा विभिन्न न्यायालय में प्रकरणों को लम्बा करने एवं विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है तो व्यर्थ ही उनके द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के जरिये न्यायिक कार्यवाही का नाजायज लाभ प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा हैं, जो न्यायोचित नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील राजस्व वाद संख्या 13/70 बअनवान किशना वगैरा बनाम मंशा वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 26.08.1970 एवं दिनांक 04.02.1971 के विरूद्व पेश की गई है। उक्त वाद संख्या 13/70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मे प्रार्थी नजरसानीकर्तागण एवं उनके पूर्वज पक्षकार नही थे। अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त वाद मे वर्णित पक्षकारान के विधिक उतराधिकारीगण द्वारा अपील पेश की गई है,अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या नजरसानी के माध्यम से निर्णय की प्रकृति एवं उद्देश्य में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित है ? इस सम्बन्ध में विधि में जो व्यवस्था प्रदान की है, वह इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 47 में नजरसानी/पुनरीक्षण के प्रावधानों को प्रावधित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किया गया हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि जिन तथ्यों को नजरसानी के माध्यम से उठाया गया है, उन्हे पूर्व में नहीं उठाया गया हो। प्रार्थी द्वारा जिन तथ्यों का सहारा लेते हुए यह नजरसानी याचिका दायर की है, उन तथ्यो को समाविष्ठ करते हुए जैर नजरसानी आदेश पारित किया गया है। जहां तक पुनर्विलोकन का प्रश्न है, तो प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार का कोई ठोस एवं सन्तोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किया है, जो यह दर्शित कर सके कि जैर नजरसानी निर्णय में कौनसी ऐसी त्रुटी आलेख पर रही हो, जिसे न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया गया हो ? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में SEM CHAND vs RAMGOPAL AND ORS. में यह व्यवस्था प्रदान की है कि " The scope of review has only limited jurisdiction, circumscribed by definitive limits fixed by the language used in Order 41, Rule 1 CPC. According to the provisions of Order 47 CPC, review of a judgment is possible only on account of a mistake or error apparent on the face of record or on any specific reason. The petitioner has nowhere stated that some new and important material evidence has come to his knowledge, which was not within his knowledge or which could not have been produced at the time when the judgment was passed. He has nowhere mentioned that some mistake or error, apparent on the face of record, is there in the judgment dated 09.12.2016" जिन नवीन तथ्यों के सहारे प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन का अनुतोष चाहा है, उन्हे मूल अपील में पक्षकार द्वारा उठाया ही नहीं गया है, अब उन तथ्यों के सहारे प्रकरण की पुनः सुनवाई का अनुतोष चाहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिव्यू का जो Scope निर्धारित किया है एवं जो व्यवस्था प्रदान की है, वह इस प्रकार है – माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/श्रीगंगानगर/24/2001 में दिनांक 10.07.2005 को निर्णय पारित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " Rajasthan Land Revenue Act , 1956, Section 86 - Civil Procedure Code, 1908, Order 47, Rule 1 - Review filed - Against order of Single Bench - Held, scope of review is limited - Appreciation of evidence cannot be done by a Court of review - Review application shall lie on any grounds mentioned in Rule 1 Order 47, Civil Procedure Code and it is also provided in Sub-clause (iii) of Section 86 of the Act - It was crystal clear that it would not be possible for Court to reopen the case in review - An error apparent on face of record should be an error which strikes one on mere looking at the record - There was no error apparent on record - Case was still alive in the Trial Court, which was the right forum for re-appreciating all the evidence which have been put forth by the applicant - Request for admission of the review petition rejected.

रिव्यू का जो दायरा तय किया गया है, उसे विस्तृत रूप से विवेचन निम्न न्यायिक सिद्धान्तों में इस प्रकार से किया है कि " Supreme Court in the case of ***Aribam Tuleshwar Sharma v. Aribarn Pishak Sharma, AIR 1979 SC 1047*** speaking through Chinappa Reddy, J. made following pertinent observations with regard to the powers of review of the High Courts and which would mutatis mutandis apply to this Court being a court of plenary jurisdiction :

"It is true there is nothing in Article 226 of the Constitution to preclude the High Court from exercising the power of review which inheres in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct grave and palpable errors committed by it. But, there are definitive limits to the exercise of the power of review. The power of review may be exercised on the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the person seeking the review or could not be produced by him at the time when the order was made; it may be exercised where some mistake or error apparent on the face of the record is found; it may also be exercised on any analogous ground. But, it may not be exercised on the ground that the decision was erroneous on merits. That would be the province of a Court of Appeal. A power of review is not to be

confused with appellate power which may enable an Appellate Court to correct all manner of errors committed by the Subordinate Court." इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि " The power of review of the Board of Revenue emanates from section 86 of the LR Act which is akin to Order 47, Rule 1 of the CPC and it is also provided in sub-clause III of Section 86 that an application for review under this Section shall lie on any of the grounds mentioned in Rule 1 of Order 47 of the first schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) and the provisions of the said order shall, subject to the provisions contained in sub-section 1 or Section 2 (sic?) be applicable. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1995 (एस0सी0) पेज 455 Smt. Meera Bhanja v. Smt. Nirmala Kumari Choudhary में यह व्यवस्था प्रदान की है कि " an error would not become a patent error or error apparent by merely styling the reasoning adopted by an earlier bench as suffering from a patent error. The Supreme Court went on to say that "in substance, the review Bench has re-appreciated the entire evidence, sat almost as court of appeal and has reversed the findings reached by the earlier Division Bench. Even if the earlier Division Bench findings were found to be erroneous, it would be no ground for reviewing the same, as that would be the function of the appellate court."

प्रार्थी द्वारा प्रकरण हाजा में तथ्यों का पुनः परीक्षण करते हुए पुनः सुनवाई का अनुतोष चाहा है, जबकि पुनरीक्षण याचिका के तहत रेकर्ड के आमुख पर त्रुटी जाहिर नहीं होने की दशा में पुनः सुनवाई अनुज्ञेय नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी याचिका पोषणीय नहीं पाई जाती है। विकल्पेण प्रार्थीगण यदि अपने आपको इस निर्णय से व्यथित समझते है, तो उनके पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 13/1970 में अपने हितों की रक्षा हेतु कार्यवाही करने के विकल्प उपलब्ध हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल अपील के नत्थी की जावे।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
02/03/2021

आदेश आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
02/03/2021